नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

इंटरव्यू दें और फिर बन जाएं सरकारी डॉक्टर

कैबिनेट ने दी मप्र लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 8 जुलाई. योग्य डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बिना किसी देरी के डॉक्टरों को सरकारी नौकरी पर रखने के लिए नई राह निकाली है. ये पीएससी के माध्यम से होने वाली लंबी भर्ती प्रक्रिया का नया विकल्प होगा. अब मप्र में सरकारी डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले योग्य उम्मीदवारों को केवल इंटरव्यू देना होगा. यदि वे इंटरव्यू में तय मापदंडों पर खतरे उतरे तो उन्हें सरकारी डॉक्टर बना दिया जाएगा. शर्त यह होगी कि जिन रिक्त स्थानों के पद निकाले गए हैं, वहां कम से कम तीन वर्ष तक सेवा देना होगा. इस दौरान उनका तबादला नहीं होगा.

कैबिनेट ने बुधवार को मप्र लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम : 2022 के नियम 6 (4) के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विभागीय स्तर से सीधी भर्ती की कार्यवाही किए जाने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. अब इसके तहत प्रत्येक माह की एक तारीख को एमपी. ऑनलाईन पर विभाग की रिक्तियां प्रदर्शित की जायेंगी, जिनके आधार पर 15 तारीख तक आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे. उस दिनांक तक प्राप्त सभी आवेदनों पर विभागीय समिति आगामी द्वितीय बुधवार को बैठक करेगी, जिसमें सभी उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिये बुलाया जायेगा. साक्षात्कार के बाद इनकी उपयुक्तता का निर्धारण करते हुए विभागीय समिति चयन की अनुशंसा राज्य शासन को करेगी. समिति द्वारा जिस वर्ग से जितने उम्मीदवारों की अनुशंसा की जायेगी, उस वर्ग से उतनी रिक्तियां एमपी ऑनलाईन में प्रदर्शित की जा रही रिक्तियों से आगामी माह के लिये कम कर दी जायेगी. विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन ऐसे चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश सीधे जारी करेगा और उन अभ्यर्थियों को सूची में प्रदर्शित रिक्त स्थानों पर पदस्थ करेगा.

कैबिनेट ने राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत अभिलेखों के पंजीयन पर देय उपकर और अतिरिक्त स्टॉम्प ड्यूटी से छूट प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है. यानी अब पंचायतों द्वारा लिया जाने वाला उपकर भी सरकार ही भरेगी. प्रदेश में 48 लाख से अधिक स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री कराई जाएगी.

कैबिनेट ने मप्र उपार्जित खाद्यान्न (गेहूं, धान, ज्वार एवं बाजरा) निस्तारण नीति 2026 को भी मंजूरी दी है. जिसके तहत राज्य सरकार एमएसपी पर खरीदे गए अनाज जो कि केंद्र द्वारा उठाव के लिए तय किए गए कोटे से बच जाएंगे, उसे खुले बाजार में बेचा जाएगा, जिससे कि अनाज को खराब होने से बचाने के साथ ही गोदामों को दिये जाने वाले किराये से भी बचा जा सके.

छोटे आईटी पार्क बनेंगे

कैबिनेट ने मप्र आईटी, आईटीइएस एंड ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी :2023 के संशोधन प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है. संशोधित नीति के मुताबिक अगर कोई पुरानी आईटी या डेटा सेंटर कंपनी अपना काम बढ़ाना चाहती है, तो उसे अपने मौजूदा निवेश में कम से कम 30 फीसदी और पैसा लगाना होगा या अपनी जगह का एरिया 30 फीसदी बढ़ाना होगा. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को अपनी मशीनों में कम से कम 30 फीसदी या 50 करोड़ रूपये (जो भी कम हो) का नया निवेश करना होगा और उत्पादन क्षमता 20 फीसदी बढ़ानी होगी.

अब तक कितने प्रमोशन किए मुख्यमंत्री ने मांगा ब्यौरा

मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत पिछले 9 दिनों में प्रदेश के सरकारी विभागों ने कितने प्रमोशन किए हैं, इस बात का ब्यौरा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल ही विभागों से मांगा है. मुख्यमंत्री की इस मामले में सख्ती के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार दोपहर को ही इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भेज दिया और बुधवार शाम तक ही प्रमोशन की सूची अपलोड करने के निर्देश दिए.

दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव से अब तक किए गए तबादलों का पूरी जानकारी मांग ली. वे जानना चाह रहे थे कि जब से प्रमोशन के मामले में नए निर्देश दिए गए हैं, तब से लेकर अब तक किस विभाग ने कितने प्रमोशन किए हैं, विभागों में कुल कितने अधिकारियों- कर्मचारियों का प्रमोशन किया जाना था और अब तक कितने किए गए. इन सवालों का अफसरों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था. लिहाजा मुख्यमंत्री ने तत्काल ही ये जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए.

यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए

- मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वर्ष 2031 तक निरंतर रखे जाने के लिए 495 करोड़ रूपये की मंजूरी.
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2026 का अनुमोदन.
- कमजोर वर्गों को प्रभावी और कुशल विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 42 करोड़ रूपये की स्वीकृति.
- 65 नगरीय निकाय क्षेत्रों में नगर वन विकास के लिए नमो हरित नगर योजना को 100 करोड़ रूपये पांच वर्ष में मिलेंगे.
- पन्ना जिले के केन-बेतवा लिंक परियोजना, रूंज सिंचाई परियोजना और मझगांव सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए अतिरिक्त 202 करोड़ 50 लाख रुपये दिए जाएंगे.

कार्यालय से बाहर निकल जीवंत संपर्क बनाएं

नवभारत न्यूज

सागर 8 जुलाई. कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने पशुपालन व डेयरी विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति समीक्षा करते हुए कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश पशु चिकित्सा अधिकारियों को दिए. उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही और आगामी तिमाही के लक्ष्यों को शीघ्रता से पूरा करें.

कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की प्रगति में संतोषजनक प्रगति नहीं करने एवं बेहद कम प्रदर्शन पर नाराजगी व्यक्त की है. मैदानी स्तर पर कम प्रदर्शन और घोर लापरवाही पर फटकार लगाते हुए कलेक्टर ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि पशुपालन व डेयरी विभाग के समस्त कार्यों में नस्ल सुधार और पशुओं के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु कृत्रिम गर्भाधान सबसे प्रमुख कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कलेक्टर ने कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कृत्रिम गर्भाधान कार्य में शून्य प्रदर्शन करने वाले विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी को निलंबित करने की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं.

साथ ही 30 प्रतिशत से कम प्रदर्शन करने वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों का आगामी वेतन रोकने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त, 10 प्रतिशत से कम प्रदर्शन करने वाले सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों और एक अंकीय प्रदर्शन करने वाले लापरवाह विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे दफ्तरों से बाहर निकलकर लगातार पशुपालकों के जीवंत संपर्क में रहें और पिछले तीन महीनों के शेष लक्ष्यों के साथ-साथ आगामी लक्ष्यों को समय सीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण करें.

जेल प्रहरी को जूते में बीड़ी का बंडल ले जाते रंगे हाथ पकड़ा, निलंबित

ग्वालियर. सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच जेल प्रहरी की शर्मनाक करतूत सामने आई है. जेल प्रहरी को जूते में बीड़ी का बंडल ले जाते रंगे हाथ पकड़ा गया. जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल प्रहरी प्रबल प्रताप सिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. जेल अधीक्षक ने कहा कि 'जेल नियमों का उल्लंघन करने वाले और अनुशासनहीनता फैलाने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा. सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

कामबंद हड़ताल से नगर निगम कामकाज प्रभावित

सागर 8 जुलाई. नगर निगम कर्मचारियों की 13 सूत्रीय लंबित मांगों के समर्थन में चल रहा आंदोलन नए चरण में प्रवेश कर गया. विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अनिश्चितकालीन कामबंद हड़ताल प्रारंभ कर दी, जिसके चलते नगर निगम के विभागों में कामकाज प्रभावित रहा. नगर निगम-नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव एवं संभाग प्रभारी राजेश सिंह राजपूत, संयुक्त कर्मचारी कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष हरेन्द्र खटीक तथा जिलाध्यक्ष सईदउद्दीन कुरैशी ने बताया कि कर्मचारी संगठनों द्वारा 13 सूत्रीय मांगों के संबंध में महापौर, निगमाध्यक्ष एवं निगमायुक्त को पूर्व में ज्ञापन सौंपा गया था.

उन्होंने आरोप लगाया कि निगमायुक्त द्वारा कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के लिए आवश्यक प्रकरण सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद स्थापना शाखा एवं लेखा शाखा स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका. कर्मचारी नेताओं ने कहा कि स्थापना प्रभारी एवं लेखाधिकारी को संबंधित शाखाओं से हटाने तथा कर्मचारियों की मांगों के निराकरण की दिशा में ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

व्यापारी की आंखों में स्प्रे डालकर 17 लाख की लूट

गुना, 8 जुलाई. सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निचला बाजार स्थित शीतला माता मंदिर रोड पर बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. बाइक सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक धनिया व्यापारी की आंखों में मिर्च या केमिकल स्प्रे झोंककर दिनदहाड़े 17 लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए.

इस बड़ी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

जानकारी सामने आई है कि मूलत: राजस्थान के बीकानेर निवासी व्यापारी वासुदेव शर्मा गुना के चौधरी मोहल्ला में किराए से रहते हैं. वे अपने दो अन्य पार्टनरों के साथ मिलकर जिले में धनिया का व्यापार करते हैं. बुधवार सुबह करीब 10 बजे वे अपने पार्टनर व्यापारियों को भुगतान करने के लिए 17 लाख रुपये नकद लेकर कुंभराज जाने के लिए निकले थे.

व्यापारी वासुदेव जैसे ही निचला बाजार शीतला माता मंदिर रोड के पास पहुंचे, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में कोई अज्ञात स्प्रे डाल दिया.

आंखों में जलन होने के बावजूद व्यापारी वासुदेव ने हिम्मत नहीं हारी और लगभग 7 मिनट तक बदमाशों से अकेले लोहा लिया और अपना बैग बचाने का पूरा प्रयास किया. लेकिन अंतत: बदमाश उनके हाथ से 17 लाख रुपये से भरा बैग छीनकर रफूचक्कर होने में कामयाब रहे. घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली थाना टीआई राजकुमार पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. इतनी बड़ी रकम की लूट को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.

सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगौद को ताला लगाकर बंद करने पर कोर्ट सख्त

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने जिला प्रशासन से पूछा है कि किसके निर्देश पर सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगौद जिला जबलपुर को ताला लगाकर बंद किया गया. एकलपीठ ने एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

यह याचिका सुरेश कुमार नामदेव और अन्य की ओर से दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2021 में हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगौद का चयन सीएम राइज स्कूल के लिए किया गया था. स्कूल भवन के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी. कुछ समय बाद 12 किलोमीटर दूर ग्राम रैपुरा पनागर में सिंगौद स्कूल के नाम पर भवन बनाया जाने लगा. यह सब किसके निर्देश पर हुआ, किसी को भी जानकारी नहीं है. सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने भी वर्ष 2022 में इसकी शिकायत तत्कालीन कलेक्टर से की थी.

96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 48 माह का एरियर देने के निर्देश

जबलपुर, 8 जुलाई. प्रदेश की लगभग 96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को वर्ष 2019 से 2023 के बीच का चार साल (48 माह) का लंबित मानदेय एरियर भुगतान करने का निर्देश दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद सरकार को करीब 1400 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करना होगा. हालांकि, एरियर पर 6 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश रद्द कर दिया गया है.

वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,500 रुपये की वृद्धि की थी. इसके बाद 2019 में प्रदेश में नई सरकार बनने पर राज्य सरकार ने अपने हिस्से का अंशदान कम कर दिया. इसका असर यह हुआ कि केंद्र की ओर से बढ़ाई गई राशि का पूरा लाभ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक नहीं पहुंच सका. इस निर्णय के विरोध में आंगनबाड़ी संगठन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी.

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार की ओर से अंशदान घटाने को नियमों के अनुरूप नहीं माना था. अदालत ने जून 2019 से जून 2023 तक के 48 माह का एरियर 120 दिनों के भीतर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का निर्देश दिया था. इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया था.

डिवीजन बेंच ने क्या कहा...

जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने के बाद राज्य सरकार अपने अंशदान में कटौती नहीं कर सकती थी. ऐसा करने से लाभार्थियों को मिलने वाला वास्तविक आर्थिक फायदा कम हो गया. पीठ ने राज्य सरकार को पूर्व की व्यवस्था के अनुसार अपना अंशदान बनाए रखने और वर्ष 2019 से 2023 तक का बकाया एरियर जारी करने के निर्देश दिए.

ब्याज क्यों नहीं मिलेगा?

डिवीजन बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि मूल याचिका में एरियर पर ब्याज देने की मांग के समर्थन में पर्याप्त कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया था. इसी कारण एकलपीठ द्वारा दिया गया 6 प्रतिशत ब्याज का आदेश निरस्त कर दिया गया.

निलंबित सिविल जज को हाईकोर्ट से झटका

▶ अपराधिक प्रकरण के साथ जारी रहेगी विभागीय कार्यवाही

जबलपुर, 8 जुलाई. फर्जी ऑर्डरशीट जारी करने के आरोप में निलंबित सिविल जज ने विभागीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि अपराधिक प्रकरण तथा विभागीय कार्यवाही के तथ्य एक जैसे है.

विभागीय जांच में बचाव में दिये गये तथ्य उजागर होने से आपराधिक प्रकरण में असर पड़ सकता है. हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस बी पी शर्मा की युगलपीठ ने याचिका को निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा है कि आरोपी न्यायिक सेवा के एक सदस्य से संबंधित हैं. न्यायपालिका में जनता का विश्वास है और यह संवैधानिक व्यवस्था के आधारभूत स्तंभों में एक है. आपराधिक कार्यवाही का समय अनिश्चितकालीन है. विभागीय कार्यवाही में अनावश्यक देरी नहीं की जा सकती और प्रशासनिक अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है. निलंबित सिविल जज विजेन्द्र सिंह रावत की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उन पर आरोप है कि इंदौर में पदस्थ रहने के दौरान एक आपराधिक प्रकरण में आईएएस संतोष वर्मा को दोषमुक्त किये जाने के संबंध में 6 अक्टूबर 2020 को फर्जी आदेश जारी किये थे. वास्तव में अपराधिक प्रकरण लंबित था और आईएएस को पदोन्नति का लाभ मिल सके.

चरित्र पर संदेह में पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

धार, 08 जुलाई. जिले की राजगढ़ पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

पुलिस के अनुसार, 7 जुलाई को शंकरपुरा (राजगढ़) निवासी कमलेश पिता नानूराम खराड़ी ने अपनी पत्नी हिना खराड़ी की कथित रूप से रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी ने शव को घर में रखी बिस्तर पेटी में छिपा दिया और उसके उपर सो गया.

सूचना मिलने पर राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर संदेह होने के कारण हत्या करना स्वीकार किया है. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन तथा एसडीओपी सरदारपुर विश्वदीप सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी समीर पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई कर मामले का शीघ्र खुलासा किया.

बरसात में बढ़ी करंट और सर्पदंश की घटनाएं, 3 की मौत

दमोह. बरसात का मौसम आते ही जिले में करंट लगने और सर्पदंश जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है. बुधवार को हुई अलग-अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल का इलाज जारी है. जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक शुभ नारायण यादव सहित पुलिस टीम ने करंट की घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

पहली घटना पथरिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर की है. यहां करंट लगने से 55 वर्षीय भागबाई पति प्रेम बंसल और उनके पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने भागबाई को मृत घोषित कर दिया. उनके पुत्र का उपचार अभी जारी है. दूसरी घटना नोहटा की है. यहां 35 वर्षीय नरेंद्र पिता हरि सिंह को करंट लगा. परिजन उन्हें दमोह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. वहीं सर्पदंश की एक अन्य घटना में मोहनपुर निवासी करीब 12 वर्षीय सपना पिता रामबाबू बंसल की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस-प्रशासन ने बरसात के मौसम में आमजन से अपील की है कि गीले हाथों से बिजली के उपकरण न छुएं, टूटे तारों से दूर रहें और रात में घरों में साफ-सफाई रखकर सर्पदंश से बचाव के उपाय करें.

यूको बैंक एफडी घोटाले का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार

रतलाम, 8 जुलाई. वर्षों की जमा-पूंजी को सुरक्षित मानकर बैंक में रखने वाले ग्राहकों के भरोसे को तोड़ने वाले एफडी घोटाले का माणकचौक थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने यूको बैंक की लक्कड़पीठा रोड शाखा से जुड़े एक आउटसोर्स कर्मचारी सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

आरोप है कि ग्राहकों की एफडी को बिना अनुमति मोबाइल बैंकिंग के जरिए तुड़वाकर रकम अलग-अलग खातों में स्थानांतरित की गई और उसका निजी लाभ उठाया गया. मामले की शुरुआत 30 जून 2026 को दिनेश बंजारा की शिकायत से हुई. शिकायत में बताया गया कि बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी राहुल राठौर ने सुनियोजित तरीके से उनके सहित कई ग्राहकों की एफडी तोड़ी और राशि पहले अपने खाते में तथा बाद में परिचितों के खातों में ट्रांसफर कर दी.

दौरा | पूर्व सांसद बिधुडी एवं पूर्व मंत्री गुर्जर का शॉल, श्रीफल देकर स्वागत किया

पीएम ने सभी वर्गों का सम्मान करते हुए देश का विकास किया : बिधूड़ी

ग्वालियर, 8 जुलाई. भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य परिषद के सदस्य एवं दिल्ली विधानसभा के पांच बार के पूर्व विधायक, दो बार के पूर्व सांसद रमेश बिधुडी एवं आगरा फतेहाबाद के पूर्व विधायक एंव पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार राम सकल सिंह गुर्जर ग्वालियर प्रवास के दौरान उप नगर मुरार स्थित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रामबरन सिंह गुर्जर के निवास सी पी कॉलोनी मुरार पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीओ ने उनका स्वागत कर अभिनंदन किया।

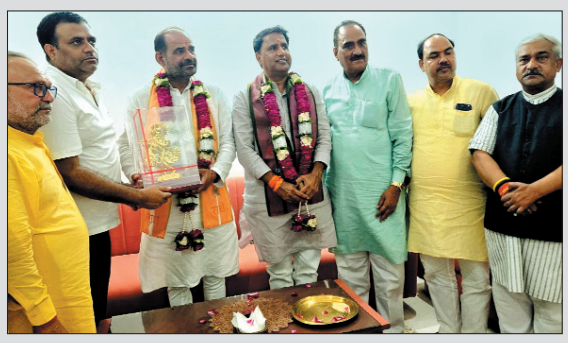

पूर्व सांसद बिधुडी एंव पूर्व मंत्री गुर्जर का शॉल, श्रीफल एवं गंमछा पहनाकर, भगवान बांकेबिहारी की मुर्ति भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक जादौन, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य अशोक जैन, प्रो. मनोज सिंह गुर्जर, समाज सेवी दीवान सिंह गुर्जर, राघवेंद्र सिंह गुर्जर (कोटे की साराये) भारतीय जनता पार्टी जिला (पिछड़ा वर्ग मोर्चा) ग्वालियर ग्रामीण के मंत्री शिव सिंह बघेल, भारतीय जनता युवा मोर्चा भगत सिंह मंडल के कोषाध्यक्ष सनी दंडोतिया मौजूद थे.

पूर्व सांसद रमेश बिधुडी ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में पिछड़े वर्ग साहित सर्व हारा वर्ग का विकास करने में तत्परता से कार्य करते हुऐ न्याय करने का प्रयास किया है.

साधु-संतों की सेवा में समर्पित रहे वर्धमान सागर

नवभारत न्यूज

सागर 8 जुलाई. महाराष्ट्र के जैन तीर्थ क्षेत्र कुंथलगिरी में यम संलेखना के बाद समाधिस्थ हुए आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज की स्मृति में आयोजित विनयांजलि सभा में मुनिश्री शाश्वत सागर महाराज ने धर्मप्रभावना के प्रेरणादायी प्रसंगों का उल्लेख किया.

मुनिश्री शाश्वत सागर महाराज ने कहा कि आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज को बचपन से ही श्रेष्ठ धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए थे, उनकी रुचि सदैव धर्म के प्रति रही तथा वे बाल्यकाल से ही साधु-संतों की सेवा में समर्पित रहते थे. उन्होंने कहा कि गुरुकृपा से ही हम धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ सके और जो कुछ भी सीखा, वह आचार्य श्री के सान्निध्य का ही परिणाम है. आचार्य श्री ने आचार्य विद्यासागर महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया था. मुनिश्री ने बताया कि जब गुरुजी ने आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने का निर्देश दिया. आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने दीक्षा का निवेदन आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के समक्ष किया था. तब आचार्य श्री ने उनसे कहा कि दक्षिण भारत का वातावरण उनके लिए अधिक अनुकूल रहेगा.